न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)
पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री रवि वर्मा , आर0ए0एस0

| मुकदमा नंबर | किस्म मुकदमा | दर्ज दिनांक |
|---|---|---|
| 01/20 | एफएसएस एक्ट, 2006 | 07/01/2020 |

1. नरेश कुमार चेजारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मु0वि0 एवं स्वा0 अधिकारी सवाई माधोपुर

–आवेदक

बनाम

1. विष्णु कुमार गुप्ता पुत्र देवीलाल गुप्ता उम्र 45 साल जाति महाजन निवासी केशव नगर उदई मोड, पोस्ट गंगापुर सिटी (मौके पर विक्रेता एवं फर्म मालिक) मैसर्स अग्रसेन ट्रेडर्स ,व्यापार मण्डल के पास ,पुरानी अनाज मण्डी ,पोस्ट गंगापुर सिटी।
2. मुकेश चंद सिंघल पुत्र द्वारका प्रसाद उम्र 46 निवासी 170 ए, सूर्य नगर, महेश नगर ,महेश नगर , पोस्ट दुर्गापुरा जिला जयपुर –302018 । (भागीदार) मैसर्स श्री अग्रसेन इण्डस्ट्रीज जी 1–42 (ए) रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया बस्सी, जयपुर 303301 ।
3. दिनेश चन्द्र सिंघल पुत्र द्वारका प्रसाद निवासी स्टेशन रोड, वार्ड नं0 8 पोस्ट बयाना, जिला भरतपुर। (भागीदार) मैसर्स श्री अग्रसेन इण्डस्ट्रीज ,जी 1–42 (ए) , रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया ,बस्सी ,जयपुर 303301।
4. मैसर्स श्री अग्रसेन इण्डस्ट्रीज ,जी 1–42 (ए) , रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया ,बस्सी ,जयपुर 303301।

–अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय

दिनांकः– 12.06.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 11.02.2019 को समय 12:30 पी0एम पर अग्रसेन ट्रेडर्स ,व्यापार मण्डल के पास ,पुरानी अनाज मण्डी ,पोस्ट गंगापुर सिटी पहूँचा। वहां पर विष्णु कुमार गुप्ता पुत्र देवीलाल गुप्ता उम्र 45 साल जाति महाजन निवासी केशव नगर उदई मोड, पोस्ट गंगापुर सिटी उपस्थित था को आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता का परिचय दिया। तत्पश्चात् विक्रेता की उपस्थिती में दुकान का निरीक्षण किया दुकान में खाद्य पदार्थ मूंगदाल (अग्रसेन गोल्ड) के 30 किलोग्राम की पैकिंग के 17 कट्टे विक्रय हेतु प्रदर्शित थे जिनका निरीक्षण करने पर मिसब्राण्ड का शक होने पर नमूना वास्ते जांच देने हेतु सूचना फार्म नं0 5 ए की प्रति गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक द्वारा खाद्य पदार्थ पदार्थ मूंगदाल (अग्रसेन गोल्ड ) के 01 पैक कट्टे को एक साईड से खुलवाकर 04 किलोग्राम मूंगदाल (अग्रसेन गोल्ड) वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय कर राशि 252/– रू0 नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गये पदार्थ मूंगदाल (अग्रसेन गोल्ड ) 04 किलोग्राम को 04 प्लास्टिक के डिब्बों में भरकर 04 नमूना भाग तैयार किये आवेदक द्वारा चार लेबल तैयार कर जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक–एक लेबल चिपकाया एवं कट्टे के लेबल की 1–1 फोटो प्रत्येक नमूना भाग के साथ रखते हुए चारों नमूना भागों को अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लेपटकर अभिहित अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लीप कमांक एच– 1584 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लीप व रेफर दोनों पर आवे एवं सील बन्द नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षरक कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक द्वारा हस्ताक्षकर कर चारों नमूने भागो को अपने कब्जे मे लिया तत्पश्चात् आवेदक कार्यालय में पहूँचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर नमूना सील लगायी। जिसरो नमूना सील किया एक नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर एवं दो प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में मो0 असलम बार्ड बॉय द्वारा खाद्य विशलेषक कोटा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा सील बंद नमूना के दो भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति डी0ओ0 कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक/एमएसएसए/2019/814 दिनांक 01.04.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विषलेषक कोटा की जांच रिपोर्ट संख्या 59 /एफएसएसए/एक्ट/2019/141 दिनांक 18.03.2019 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मूंगदाल (अग्रसेन गोल्ड ) मिसब्राण्डेड पाया गया।

उक्त प्रकरण खाद्य विषलेषक कोटा की जांच रिपोर्ट संख्या 59 /एफएसएसए/एक्ट/2019/141 दिनांक 18.03.2019 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्त्ता ने मिसब्राण्डेड प्रकृति के खाद्य पदार्थ का निर्माण व विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 धारा 52 में सजा व जुर्माना योग्य अपराध है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्तगण पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण स्वयं उपस्थित। दौराने बहस अभियुक्तगण सं0 1 उपस्थित होने पर अभियुक्त सं0 1 व अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी गई।

अभियुक्तगण सं0 1 ने दौराने बहस अवगत कराया कि उक्त प्रकरण में अभियुक्त सं0 01 की कोई गलती नहीं है अभियुक्त सं0 01 द्वारा अभियुक्त सं0 2 से जिस अवस्था में खाद्य पदार्थ प्राप्त होता है उसी अवस्था मे विक्रय किया जाता है। अभियुक्त सं0 01 द्वारा किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं की जाती है। अभियुक्त सं0 01 एक छोटी सी फर्म पर कार्य कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। अभियुक्त सं0 1 के आजिविका का एक मात्र साधन यह ही है, साथ ही अभियुक्त सं0 01 ने उक्त प्रकरण की कार्यवाही ड्राप करने हेतु निवेदन किया है।

हमने अभियुक्तगण की बहस पर मनन किया साथ ही पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न खाद्य विषलेषक कोटा की जांच रिपोर्ट संख्या 59 /एफएसएसए/एक्ट/2019/141 दिनांक 18.03.2019 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्त्ता ने मिसब्राण्डेड प्रकृति के खाद्य पदार्थ का निर्माण व विक्रय निर्माण व विक्रय करने का दोषी पाया गया है तथा आवेदक यदि उक्त जांच रिपोर्ट से सन्तुष्ट नहीं था तो निर्धारित समयावधि मे रेफरल प्रयोगशाला में जांच करवाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता था। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतित होती है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 52 के तहत की गई अनियमितता के लिये अभियुक्त सं0 1 लगायत 4 को संयुक्त रूप से 35,000 (पैतीस हजार) रू0 की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक. 12.06.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( रवि वर्मा )
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी